

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2008/भाद्र 13, 1930

No. 486]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2008/BHADRA 13, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 639(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, सीमा-शुल्क बोर्ड, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, स्टाफ कार चालक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची के, स्तंभ 12 में, चालक श्रेणी-1 के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 पर, 'प्रोन्नति' शीर्षक के अधीन, 'ऐसा चालक श्रेणी-2, जिसने छह वर्ष नियमित सेवा की हो' शब्दों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे :

"ऐसा चालक जिसने उस श्रेणी-2 में छह वर्ष नियमित सेवा की हो या श्रेणी-2 और साधारण श्रेणी में एक साथ मिला कर पन्द्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो।"

[फा. सं. ए-12018/5/2008 प्र-3 (बी)]

के. के. खट्टर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 212 (अ), तारीख 7 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2008

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Staff Car Drivers (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Staff Car Drivers (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Staff Car Drivers (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2003, in the schedule, at serial number 3 relating to the post of Driver Grade-I, in column 12, under the heading 'promotion', for the words and figure "Driver grade-II with six years regular service" the following words and figure shall be substituted "Six years regular service in the Grade-II or a combined service of fifteen years in the Grade-II and in Ordinary Grade put together".

[F. No. A-12018/5/2008-Ad. III(B)]

K. K. KHATTAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 212(E), dated the 7th March, 2003.